293

संख्या जी0आई0:- 2762 /7-1-2013-300(3409)/2012

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन सरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादूनः दिनांक 20 जुलाई, 2013.

विषयः- जनपद-पिथौरागढ़ में 2X2500 किलोवाट सुरिंगगाड स्टेज द्वितीय लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 3.176 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 108/1जी-3591 (पिथौ0) दिनांक 08-07-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-पिथौरागढ़ में 2X2500 किलोवाट सुरिंगगाड स्टेज द्वितीय लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 3.176 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./01/19/2012/एफ0सी0/427 दिनांक 24-06-2013 में दी गयी स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. **वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम-दरकोट, पटवारी क्षेत्र-दरकोट तहसील-मुनस्यारी, जिला-पिथौरागढ़ में 7.00 हे0 अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(i) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षो तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।**
3. **वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गई उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।**
4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

7. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर केवल उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
9. सम्बन्धित वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन्हें ईधन की लकड़ी अथवा अन्य ईधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत किसी प्रकार के श्रमिक हट (Labour Camps) स्थापित न किये जायें।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों के दौरान किसी प्रकार का अवैध खनन न हो।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना क्षेत्र में वन विभाग द्वारा स्थापित की जाने वाली पौधशालाओं व वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया जायेगा।
13. **प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।**
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
19. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
20. **निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक–हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।**
21. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।**
22. **प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं प्रस्तावित कार्य स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।**
23. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।**
24. **प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से इस आशय की बचनबद्धता ली जायेगी कि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो उनके द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।**
25. **प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा भूक्षरण रोकने हेतु कैट प्लान का क्रियान्वयन किया जायेगा।**
26. **प्रश्नगत वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर का मूल्य (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज रेन्ट शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500(826)/2002 दिनांक 09–09–2005 के प्रस्तर 3.2.5 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आंकलित किया जायेगा तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि का मूल्य व**

लीज रेन्ट का भुगतान किये जाने के उपरान्त ही परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का कब्जा दिया जायेगा।

27. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य शासन को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः–198/7–जी0–सी0–89–3–98, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक "0070"–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01 –की सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार व प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
28. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि पर प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमाँकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।
29. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2– उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500(826)/2002 दिनांक 9–9–2005 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 2762 /7–1–2013–300(3409)/2012 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
6. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
8. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम, महारानीबाग, उज्जवल भवन, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, लघु जल विद्युत परियोजना, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम, खण्ड–थल, जनपद–पिथौरागढ।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।